



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

No. 63]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2010

सा.क्र.नि. 71(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार मणिपुर एवं त्रिपुरा की सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2010 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

मणिपुर-त्रिपुरा

मणिपुर-त्रिपुरा के संयुक्त संवर्ग के अन्तर्गत बरिष्ठ इयूटी पद 113		तैनाती के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	
क.	मणिपुर	60	
	सरकार के मुख्य सचिव	1	-
	सरकार के अपर मुख्य सचिव	1	2
	सरकार के प्रधान सचिव	4	2

सरकार के सचिव	15	2
रेजीडेंट आयुक्त	1	2
राज्य प्रशिक्षण अकादमी के महानिदेशक	1	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
मुख्यमंत्री के सचिव	1	2
लोक सेवा आयोग के सचिव	1	2
आयुक्त, विभागीय जांच	1	2
विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	9	2
उपायुक्त	9	2
उत्पाद शुल्क आयुक्त	1	2
कर आयुक्त	1	2
सतर्कता निदेशक	1	2
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों	1	2
निदेशक, बंदोबस्त एवं भूमि रिकार्ड	1	2
निदेशक, पर्यटन	1	2
निदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क	1	2
निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग	1	2
निदेशक, परिवहन	1	2
निदेशक, जनजातीय विकास एवं पिछड़ा वर्ग	1	2
निदेशक, नगर प्रशासन एवं शहरी विकास	1	2
युवा कार्य एवं क्रीडा निदेशक	1	2
निदेशक, उच्च शिक्षा	1	2
निदेशक, स्कूल शिक्षा	1	2

ख.	त्रिपुरा	53	
	सरकार के मुख्य सचिव	1	-
	सरकार के प्रधान सचिव	2	2
	महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान	1	2
	त्रिपुरा के राज्यपाल के प्रधान सचिव	1	2
	प्रधान रेजीडेंट आयुक्त, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली	1	2

	सरकार के सचिव	8	2
	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद्	1	2
	रेजीडेंट आयुक्त, त्रिपुरा	1	2
	मुख्यमंत्री के सचिव	1	2
	आयुक्त, विभागीय जांच	1	2
	लोक सेवा आयोग के सचिव	1	2
	सरकार के अपर/उप/संयुक्त सचिव	13	2
	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर	4	2
	निदेशक, उच्च शिक्षा	1	2
	निदेशक, स्कूल शिक्षा	1	2
	निदेशक, सतर्कता	1	2
	निदेशक, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा	1	2
	निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	2
	निदेशक, भूमि रिकार्ड एवं बंदोबस्त	1	2
	निदेशक, सूचना, सांस्कृतिक कार्य एवं पर्यटन	1	2
	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	1	2
	श्रम आयुक्त	1	2
	निदेशक, युवा कार्य एवं क्रीडा	1	2
	निदेशक, जनजातीय कल्याण	1	2
	निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक कल्याण	1	2
	निदेशक, उत्पाद एवं कर	1	2
	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	1	2
	निदेशक, हथकरघा, हस्तकला एवं रेशम	1	2
	निदेशक, योजना एवं समन्वय	1	2
	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी	1	2
1	कुल वरिष्ठ इयूटी पद (क + ख)	113	
2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 % से अधिक नहीं	45	
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 % से अधिक नहीं	28	
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 % से अधिक नहीं	03	
5	अवकाश रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 % से अधिक नहीं	18	

6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 एवं 4 के 33.3 % से अधिक नहीं।	63
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	144
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	207

[फा. सं. 11031/10/2009-अ. भा. से.-II (क)]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 :— इस अधिसूचना के जारी करने के पूर्व मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 198 थी।

टिप्पणी 2 :— मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इनमें बाद में मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित जी.एस.आर. तथा दिनांक द्वारा संशोधन किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक
1	21	12.01.1974	10	702अ	17.12.1980
2	724	13.07.1974	11	609	17.07.1982
3	233अ	17.03.1976	12	1242	15.12.1984
4	44अ	28.01.1977	13	294	16.04.1988
5	867	09.07.1977	14	5	09.12.1993
6	665	27.05.1978	15	21अ	05.01.2000
7	1325	11.11.1978	16	230	12.06.2000
8	471	31.03.1979	17	232अ	27.03.2008
9	769	26.07.1980	18	188अ	24.03.2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2010

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Governments of Manipur and Tripura, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

- (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Amendment Regulations, 2010.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "MANIPUR-TRIPURA" and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

MANIPUR-TRIPURA

	Senior Duty Posts under the Joint Cadre of Manipur - Tripura	113	Minimum tenure for posting (in years)
a.	MANIPUR	60	
	Chief Secretary to Government	1	-
	Additional Chief Secretary to Government	1	2
	Principal Secretary to Government	4	2
	Secretary to Government	15	2
	Resident Commissioner	1	2
	Director General of State Academy of Training	1	2
	Secretary to Governor	1	2
	Secretary to Chief Minister	1	2
	Secretary, Public Service Commission	1	2
	Commissioner, Departmental Enquiries	1	2
	Special/Additional/Joint/Deputy Secretary	9	2
	Deputy Commissioners	9	2
	Commissioner for Excise	1	2
	Commissioner for Taxes	1	2
	Director of Vigilance	1	2
	Director of Food & Civil Supplies	1	2
	Registrar of Cooperative Societies	1	2
	Director of Settlement and Land Records	1	
	Director of Tourism	1	2
	Director of Information and Public Relations	1	2
	Director of Commerce & Industries	1	2
	Director of Transport	1	2
	Director of Tribal Development & Backward Classes	1	2
	Director of Municipal Administration and Urban Development	1	2

544 6/10-2

Director of Youth Affairs & Sports	1	2
Director of Higher Education	1	2
Director of School Education	1	2

b.	TRIPURA	53	
	Chief Secretary to the Government	1	-
	Principal Secretary to Government	2	2
	Director General, State Institute of Public Administration and Rural Development	1	2
	Principal Secretary to Governor, Tripura	1	2
	Principal Resident Commissioner, Tripura Bhawan, New Delhi	1	2
	Secretary to Government	8	2
	Chief Executive Officer, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council	1	2
	Resident Commissioner, Tripura	1	2
	Secretary to Chief Minister	1	2
	Commissioner for Departmental Enquiries	1	2
	Secretary to Public Service Commission	1	2
	Additional Secretary/Deputy Secretary/Joint Secretary to Government	13	2
	District Magistrate and Collector	4	2
	Director of Higher Education	1	2
	Director of School Education	1	2
	Director of Vigilance	1	2
	Director of Social Welfare and Social Education	1	2
	Director of Food and Civil Supplies	1	2
	Director of Land Records and Settlement	1	2
	Director of Information, Cultural Affairs and Tourism	1	2
	Registrar of Cooperative Societies	1	2
	Labour Commissioner	1	2
	Director, Youth Affairs and Sports	1	2
	Director of Welfare for Schedule Tribes	1	2
	Director of Welfare for Schedule Castes, OBC & Religious Minorities	1	2
	Director of Excise and Taxes	1	2
	Director of Industries and Commerce	1	2

	Director, Information Technology	1	2
	Director of Handloom, Handicraft and Sericulture	1	2
	Director, Planning and Coordination	1	2
1.	Total Senior Duty Posts (a+b)	113	
2.	CDR not exceeding 40% of item 1 above	45	
3.	SDR not exceeding 25% of Item 1 above	28	
4.	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	03	
5.	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	18	
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3 & 4 above	63	
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5- 6)	144	
	TOTAL AUTHORISED STRENGTH	207	

[F. No. 11031/10/2009-AIS-II(A)]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Manipur-Tripura Cadre was 198.

Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Manipur-Tripura Cadre by the following GSR Nos. and dates:

S.No.	GSR No.	DATE	S.No.	GSR No.	DATE
1	21	12.01.1974	10	702E	17.12.1980
2	724	13.07.1974	11	609	17.07.1982
3	233E	17.03.1976	12	1242	15.12.1984
4	44E	28.01.1977	13	294	16.04.1988
5	867	09.07.1977	14	5	09.12.1993
6	665	27.05.1978	15	21E	05.01.2000
7	1325	11.11.1978	16	230	12.06.2000
8	471	31.03.1979	17	232E	27.03.2008
9	769	26.07.1980	18	188E	24.03.2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2010

सा.का.वि. 72(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार मणिपुर-त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली 2010 कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में - तालिका में "अनुसूची-II भाग-क" में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों के लिए "मणिपुर-त्रिपुरा" निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

मणिपुर-त्रिपुरा

मणिपुर

सरकार के मुख्य सचिव	रुपए 80,000/- (नियत)
सरकार के अपर मुख्य सचिव	रुपए 80,000/- (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/-
सरकार के सचिव	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-

रेजीडेंट आयुक्त	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
राज्य प्रशिक्षण अकादमी के महानिदेशक	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
राज्यपाल के सचिव	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
मुख्यमंत्री के सचिव	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
लोक सेवा आयोग के सचिव	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
आयुक्त, विभागीय जांच	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/

त्रिपुरा

सरकार के मुख्य सचिव	रुपए 80,000/-(नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/-
महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/-
त्रिपुरा के राज्यपाल के सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/-
प्रधान रेजीडेंट आयुक्त, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/-
सरकार के सचिव	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
आवास आयुक्त, त्रिपुरा	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
मुख्यमंत्री के सचिव	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/
विभागीय जांच आयुक्त	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/

(ख) अनुसूची II-भाग ख में - वेतन के अलावा विशेष भत्ता वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन वाले पदों के लिए, "मणिपुर-त्रिपुरा" के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

मणिपुर

विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव
उपायुक्त
उत्पाद शुल्क आयुक्त

544 40/10-3

कर आयुक्त
सतर्कता निदेशक
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों
निदेशक, बंदोबस्त एवं भूमि रिकार्ड
निदेशक, पर्यटन
निदेशक, सूचना एवं जन-संपर्क
निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग
निदेशक, परिवहन
निदेशक, जनजातीय विकास एवं पिछड़ा वर्ग
निदेशक, नगर प्रशासन एवं शहरी विकास
युवा कार्य एवं क्रीडा निदेशक
निदेशक, उच्च शिक्षा
निदेशक, स्कूल शिक्षा

त्रिपुरा

लोक सेवा आयोग के सचिव
सरकार के अपर/उप/संयुक्त सचिव
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर
निदेशक, उच्च शिक्षा
निदेशक, स्कूल शिक्षा
निदेशक, सतर्कता
निदेशक, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा
निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
निदेशक, भूमि-रिकार्ड एवं बंदोबस्त
निदेशक, सूचना, सांस्कृतिक कार्य एवं पर्यटन
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों
श्रम आयुक्त
निदेशक, युवा कार्य एवं क्रीडा
निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण
निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक कल्याण
निदेशक, उत्पाद एवं कर
निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी

निदेशक, हथकरघा, हस्तकला एवं रेशम

निदेशक, योजना एवं समन्वय

[फा. सं. 11031/10/2009-अ.पा.से.-II (ख)]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :— मुख्य नियम दिनांक 20.3.2008 की सा.का.नि. सं. 213(ड.) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें बाद में दिनांक 19.09.2008 की सा.का.नि. सं. 665(ड.) तथा दिनांक 15.04.2009 के सा.का.नि. सं. 123(ड.), सा.का.नि. सं. 542 दिनांक 21.7.2009, सा.का.नि. सं. 572 दिनांक 13.8.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2010

G.S.R. 72(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of Manipur and Tripura hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely: -

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:-

In "Schedule II-Part A" posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'Manipur-Tripura' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:

MANIPUR-TRIPURA

Manipur

Chief Secretary to Government	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary to Government	Rs.80000/-(fixed)
Principal Secretary to Government	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000
Secretary to Government	PB-4 + GP Rs.10000/-
Resident Commissioner	PB-4 + GP Rs.10000/-
Director General of State Academy of Training	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Governor	PB-4 + GP Rs.10000/-

544 G/10-4

Secretary to Chief Minister	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary, Public Service Commission	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner, Departmental Enquiries	PB-4 + GP Rs.10000/-

TRIPURA

Chief Secretary to the Government	Rs.80000/-(fixed)
Principal Secretary to Government	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000
Director General, State Institute of Public Administration and Rural Development	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000
Principal Secretary to Governor, Tripura	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000
Principal Resident Commissioner, Tripura Bhawan, New Delhi	HAG Scale – 67000 (annual increment @ 3%)– 79000
Secretary to Government	PB-4 + GP Rs.10000/-
Chief Executive Officer, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council	PB-4 + GP Rs.10000/-
Resident Commissioner, Tripura	PB-4 + GP Rs.10000/-
Secretary to Chief Minister	PB-4 + GP Rs.10000/-
Commissioner for Departmental Enquiries	PB-4 + GP Rs.10000/-

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special allowance in addition to pay, for the entries occurring under 'Manipur-Tripura, the following shall be substituted, namely:-

Manipur

Special/Additional/Joint/Deputy Secretary
Deputy Commissioners
Commissioner for Excise
Commissioner for Taxes
Director of Vigilance
Director of Food & Civil Supplies
Registrar of Cooperative Societies
Director of Settlement and Land Records
Director of Tourism
Director of Information and Public Relations
Director of Commerce & Industries
Director of Transport

Director of Tribal Development & Backward Classes
Director of Municipal Administration and Urban Development
Director of Youth Affairs & Sports
Director of Higher Education
Director of School Education

Tripura

Secretary to Public Service Commission
Additional Secretary/Deputy Secretary/Joint Secretary to Government
District Magistrate and Collector
Director of Higher Education
Director of School Education
Director of Vigilance
Director of Social Welfare and Social Education
Director of Food and Civil Supplies
Director of Land Records and Settlement
Director of Information, Cultural Affairs and Tourism
Registrar of Cooperative Societies
Labour Commissioner
Director, Youth Affairs and Sports
Director of Welfare for Schedule Tribes
Director of Welfare for Schedule Castes, OBC & Religious Minorities
Director of Excise and Taxes
Director of Industries and Commerce
Director, Information Technology
Director of Handloom, Handicraft and Sericulture
Director, Planning and Coordination

[F. No. 11031/10/2009-AIS-II(B)]
HARISH C. RAI, Desk Officer

Note :— The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.213(E) dated the 20.03.2008 and subsequently were amended vide GSR No.665(E) dated 19.09.2008, 123 (E) dated 15.04.2009, GSR No.542(E) dated 21.07.2009, GSR No.572(E) dated 13.08.2009 and GSR No. 820 dated 12.11.2009.